

207  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

निर्णय दिनांक  
11.03.2024

करण संख्या  
24/2023

दायर दिनांक  
13.06.2023  
उनवान

लुणा पुत्र रूपा नायक, उम्र वयस्क निवासी कालसांस पोस्ट रीछड़ा तह0 एवं जिला  
भीलवाडा

बनाम  
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा राज0

प्रार्थी  
विपक्षी


स्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश धोबी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत रेकार्ड में हुई त्रुटि को  
दुरस्थ कराये जाने :-  
-: निर्णय :-

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सामलाती खातेदारी अधिकार की  
भूमि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील  
जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:- क्रमशः 1249, 1264/2 कुल  
ता 02 कुल रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व  
र्ड में प्रार्थी का नाम चांदमल पिता रूपा नायक दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम  
पिता रूपा नायक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की  
टोप्रति, ग्राम पंचायत खेड़लिया का प्रमाण पत्र की फोटोप्रति एवं प्रार्थी के नाम ग्राम  
लसांस के खाता संख्या 604 में अंकित नाम लुणा पुत्र रूपा नायक के जमाबन्दी की  
टोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी  
। ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से  
रोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित  
न्दुओं को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम चांदमल पिता रूपा नायक की बजाय  
णा पिता रूपा नायक नाम दुरुस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार  
रकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम कालसांस के आंराजी नम्बर 1249, 1264/2 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में चांदमल पुत्र रूपा नायक खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम ग्राम कालसांस के अन्य खाता संख्या 604 में प्रार्थी का नाम लुणा पुत्र रूपा नायक दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम चांदमल पुत्र रूपा नायक के बजाय लुणा पुत्र रूपा नायक नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व ताला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:- क्रमशः 1249, 1264/2 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित चांदमल पुत्र रूपा नायक के बजाय लुणा पुत्र रूपा नायक नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 बस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जाए।

  
(आनंद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा